<u>प्रेस –विज्ञप्ति</u>

बुंदेलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड द्वारा 65 मेगावाट कालपी सौर ऊर्जा परियोजना की ऊर्जा निकासी के लिये पारेषण संयोजकता अनुबंध (Connectivity Agreement) पर हस्ताक्षर

पारेषण संयोजकता अनुबंध (Connectivity Agreement) पर हस्ताक्षर करने के पश्चात श्री मनीष सहाय, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, बीएसयूएल एवं श्री पंकज सक्सेना, अधिशाषी अभियंता, यूपीपीटीसीएल।

बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड और यूपीनेडा का संयुक्त उद्यम, जिसका गठन उत्तर प्रदेश राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के उद्देश्य से किया गया है। इसी क्रम में बीएसयूएल द्वारा कालपी सौर ऊर्जा परियोजना (65 मेगावॉट) का निर्माण जनपद जालौन में किया जा रहा है। परियोजाना से उत्पादित होने वाली 148 मि.यू. वार्षिक ऊर्जा की निकासी हेतु संयोजकता यूपीपीटीसीएल द्वारा 132 के.वी. भदरेखी उपकेंद्र पर बीएसयूएल को आबंटित की गयी थी। तद्नुसार ऊर्जा निकासी हेतु पारेषण लाईन (Transmission Line) का निर्माण कार्य भी त्वरित गति से जारी है। हाल ही में परियोजना से उत्पादित होने वाली ऊर्जा के क्रय हेतु बीएसयूएल एवं यूपीपीसीएल (DISCOM) के मध्य ऊर्जा क्रय अनुबंध के निष्पादन हेतु अनुमति माननीय विद्युत नियामक आयोग, उ.प्र. द्वारा प्रदान की गयी थी। जिसके उत्तरोत्तर में बीएसयूएल एवं यूपीपीटीसीएल के मध्य पारेषण संयोजकता अनुबंध (Connectivity Agreement) का निष्पादन उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (Grant of Connectivity to Intra-State Transmission System) विनियम, 2010 के अंतर्गत किया गया है। श्री मनीष सहाय, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, बीएसयूएल और श्री पंकज सक्सेना, अधिशाषी अभियंता, यूपीपीटीसीएल ने पारेषण संयोजकता अनुबंध पर दिनांक 29 जनवरी 2022 को हस्ताक्षर किये। इस दौरान बीएसयूएल एवं यूपीपीटीसीएल के अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित थे।

****

लखनऊ
29.01.2022